<u>न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू</u>

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 277/2021

राजस्थान सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं।

——प्रार्थी

बनाम

इरफान खान पुत्र ईद मोहम्मद जाति सब्जीफरोश, निवासी वार्ड न0 6, टमकोर, पुलिस थाना मलसीसर, जिला झुंझुनूं।

——अप्रार्थीगण

थाना बिसाउ पर दर्ज अ0स0 48/2021 धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट मे जप्तशुदा माल वजह सबूत को ई0सी0 एक्ट की धारा 6ए के तहत निस्तारण के संबंध मे।

———

उपस्थितः—

1. श्री रामावतार, प्रर्वतन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि—प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नही।

<u>आदेश</u>

दिनांक 27.06.2022

प्रार्थी जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.03.2021 को श्री भंवरलाल खोखर आरपीएस वृताधिकारी वृत ग्रामीण झुंझुनूं मय जाप्ता श्री बलराम कानि0 1033 मय गाडी सरकारी चालक श्री सन्तकुमार कानि0 नम्बर 175 के समय 5.00 पीएम पर वृत कार्यालय झुंझुनूं से राजकार्य हेतु रवाना होकर समय करीब 5.45 पीएम पर बिरमी बस स्टैण्ड के पास पहुंचा जहां पर मन वृताधिकारी को जरिये खास मुखबीर सूचना मिली कि एक व्यक्ति पिकअप गाडी में पांच छः ड्रम डीजल व पैट्रोल के भरे हुये रखकर रेल्वे स्टेशन बिसाउ के आगे चूरू बिसाउ रोड पर डीजल पैट्रोल बेच रहा है। चूंकि मुखबीर इतला खास है। अतः हमराही जाप्ते को इतला से अवगत करवाया व इतला के सत्यापन हेतु अतिरिक्त जाप्ते की इमदाद के लिये थानाधिकारी बिसाउ को दो मुलाजमान बावर्दी गांगियासर तिराहा कस्बा बिसाउ पर भेजने की हिदायत देकर बिरमी बस स्टेण्ड से रवाना होकर समय 6.05 पीएम पर गांगियासर तिराहा बिसाउ पर पहुंचा जहां पर थाना बिसाउ से श्री राजेश कुमार एचसी 2554 व श्री महेन्द्र कानि0 962 बावर्दी मौजूद मिले। जिनको इतला से अवगत करा कर हमराह साथ लेकर गांगियासर तिराहा बिसाउ से रवाना होकर गश्त कस्बा बिसाउ मैन रोड करता हुआ समय 6.15 पीएम पर रेल्वे स्टेशन बिसाउ के आगे चूरू बिसाउ रोड पर पहुंचा तो [illegible] तरफ एक पिकअप गाडी दिखाई दी। जिसके डाले के अन्दर पीछे एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया जो अचानक पुलिस जाप्ता को बावर्दी देखकर पिकअप के डाले से उतर कर भागने लगा तो मन वृताधिकारी ने हमराही जाप्ते की मदद से घेरा देकर डिटेन किया। डिटेनशुदा व्यक्ति को [illegible] नाम पता पूछा तो अपना नाम इरफान खान पुत्र ईद मोहम्मद जाति सब्जीफरोस उम्र 22 साल निवासी वार्ड नम्बर 6 टमकोर पुलिस थाना मलसीसर जिला झुंझुनूं का होना बताया। डिटेनशुदा व्यक्ति से मन वृताधिकारी ने भागने का कारण पूछा तो सकपकाते हुये बताया कि मैं पिकअप गाडी के अन्दर अवैध डीजल पैट्रोल बेच रहा था इस लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.04 14:49:05 IST
Reason: SelfAttested

डर के मारे भाग रहा था। शख्स को हमराह लेकर पिकअप गाडी के पास पहुंचा पिकअप गाडी को चैक किया तो पिकअप गाडी के डाले के अन्दर एक छोटा नीले रंग का प्लास्टिक का ड्रम व छः नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम व दो लोहे की नापनी व एक बैरल पम्प व एक प्लास्टिक का कीमा मिला। छः बडे प्लास्टिक के ड्रमों पर **INDIA GLYEOLS LTD** लिखा हुआ है। छोटे प्लास्टिक के ड्रम को चैक किया तो ड्रम के अन्दर करीब 20 लीटर पैट्रोल भरा हुआ व बडे प्लास्टिक के छः ड्रम को चैक किया तो छः ड्रम डीजल के भरे हुये मिले। शख्स इरफान खान को इतनी मात्रा में डीजल व पैट्रोल बेचने बाबत अनुज्ञा पत्र या लाईसेंस बाबत पूछा गया तो अपने पास डीजल व पैट्रोल बेचने बाबत अनुज्ञा पत्र नही होना बताया। पूछने पर बताया कि हरियाणा में डीजल व पैट्रोल सस्ता है। वहां से डीजल व पैट्रोल लाकर यहां बेचकर मुनाफा कमाता हूं। शख्स मजकूर का सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुज्ञा पत्र के डीजल व पेट्रोल बेचना जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खिलाफवर्जी में आना पाये जाने पर शख्स के कब्जे मे मिले एक ड्रम छोटा प्लास्टिक का करीब 20 लीटर पैट्रोल से भरा हुआ व छः बडे ड्रम प्लास्टिक के डीजल से भरे हुये है। प्रत्येक ड्रम में करीब 200-200 लीटर डीजल भरे हुये को कब्जा पुलिस लिया जाकर एक छोटे प्लास्टिक के ड्रम में से एक पव्वा कांच का 180 एमएल पैट्रोल बतौर नमूना सैम्पल पृथक लिया जाकर सील्ड मोहर किया जाकर मार्क A अंकित किया गया व छः बडे ड्रमों में से B, C, D, E, F, G अंकित किया गया। शेष छोटे ड्रम में बचे पैट्रोल को उसी ड्रम में शील्ड मोहर कर A1 अंकित किया गया। छः बडे ड्रमों में शेष बचे डीजल को उन्ही ड्रमों में पृथक पृथक क्रमशः सील्ड मोहर कर मार्क B1, C1, D1, E1, F1, G1 अंकित किया गया। शख्स मजकूर के कब्जे से मिली पिक अप गाडी का निरीक्षण किया गया तो पिक अप गाडी के आगे पीछे नम्बर प्लेट लगी हुई है। नम्बर प्लेट पर नम्बर आरजे 18 जीबी 1789 अंकित है। पिकअप गाडी के चैचिस पर चैचिस नम्बर **MA1ZC2GHKG1E46386** अंकित है। आगे बोनट व पीछे डाला बना हुआ है। पिकअप गाडी का रंग सफेद है। वाहन को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। मुलजिम इरफान को जुर्म से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। वापसी पर बिसाउ थाना पर अभियोग संख्या 48/2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान प्रकरण हाजा में चालानी आदेश प्राप्त किये जाकर चार्जशीट नम्बर 27 दिनांक 05.04.2021 किता की गई जो तारिख पेशी पर पेश न्यायालय की जायेगी। उक्त जप्तशुदा ड्रमो में करीब 1200 लीटर डीजल व 20 लीटर पैट्रोल भरा हुआ है उक्त ड्रमो के रख रखाव हेतु थाना पर उचित व्यवस्था नही है। जप्तशुदा सामान अत्यधीक ज्वलनशील पदार्थ है। उक्त ड्रम में गैस बनने के कारण ड्रमों के फटने की पूर्ण आंशका है जिसके कारण हादसा होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण जप्तशुदा पैट्रोल डीजल के निस्तारण आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नही हुआ अप्रार्थी के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.04 14:49:05 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी से एक छोटे ड्रम मे 20 लीटर पेट्रोल, 6 बडे ड्रमों मे 1200 लीटर डीजल व दो लोहे की नापनी व एक बैरल पम्प व एक प्लास्टिक का कीमा जप्त किये गये है। अप्रार्थी के पास कोई लाईसेन्स पेट्रोल के विक्रय बाबत नही था। उक्त पेट्रोल के थाना रखरखाव

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

की उचित व्यवस्था नही है। पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है जिसके कारण हादसा होने की संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम मे स्वीकार कर जप्तशुदा 20 लीटर पेट्रोल मय एक छोटा ड्रम, 1200 लीटर डीजल मय 6 बडे ड्रम व दो लोहे की नापनी व एक बैरल पम्प व एक प्लास्टिक का कीमा के निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण मे पेट्रोल व डीजल में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये व आगजनी से बचने के लिए इस पेट्रोल व डीजल का निस्तारण किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये 20 लीटर पेट्रोल मय एक छोटा ड्रम, 1200 लीटर डीजल मय 6 बडे ड्रम व दो लोहे की नापनी व एक बैरल पम्प व एक प्लास्टिक का कीमा को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए (2)के तहत अधिहरण किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्तशुदा 20 लीटर पेट्रोल मय एक छोटा ड्रम, 1200 लीटर डीजल मय 6 बडे ड्रम व दो लोहे की नापनी व एक बैरल पम्प व एक प्लास्टिक का कीमा का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत राजसात कर खुली निलामी मे विक्रय कर राशि को राजकोष में जमा करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं एवं जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मण सिह कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला कलक्टर झुंझुनूं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.04 14:49:05 IST
Reason: SelfAttested